

FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम N ययाना.....

काय सिंह

बनाम गोरु शर्मा

काय

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212/24

रान 255/23

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16/10/23

रुद्र शर्मा ने गुरु शर्मा पर एक 212/24 नंबर के तहत प्रेष किया। हमने 150 शर्मा की एक-पक्षीय सुन। पत्रावली में सर्वजन राजप सिफ्टि का अवलोकन किया। प्रमाण प्रकर हस्ता शर्मा के एक में कुपास आता है कि अशर्मागण के शिखर अशर्मा अशर्मा विवेकाश आगामी 100 प्रेषित 08/2/24 तक इस कारण का जारी किया जाय है कि शर्मा पर की मड सांकर 02 में वापस आगामी वाके शर्मा कोरापडा तहसील वपाना के मोदी की-प्रशासिका वगैरे वष। इति वाकत कोप आगामी कोपिगिर 10/10/23 प्रेष को-पामावप हाजा उपस्थित कोरु शर्मा शर्मा पर प्रेष करे प्रमाण के 200 है। अशर्मागण को वाडिप नाहिस वगै कर प्रमाण डिमांड 0 2/24 को प्रेष है।

8/2/24

पिठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्विका विनाक 2/24 को प्रेष है

उप खण्ड अधिकारी
ययाना (भरत)
कोड संख्या-24

20/6/24

गुरुशर्मा उपखण्ड शर्मागण - हुक्म कोरु प्रमाण है। अशर्मागण 20/6/24 को प्रेष है।

नाम (अशर्मागण)

24/9/24 पीठासीन अधिकारी
पञ्जाबली पूर्वोत्तर दिवांक 12 को पेश है
रीडर
डॉ. एस. डी. एम

11/12 पीठासीन अधिकारी
पञ्जाबली पूर्वोत्तर दिवांक 2 को पेश है
रीडर
डॉ. एस. डी. एम

27/2 पीठासीन अधिकारी
पञ्जाबली पूर्वोत्तर दिवांक 6 को पेश है
रीडर
डॉ. एस. डी. एम

6/2 पीठासीन अधिकारी
पञ्जाबली पूर्वोत्तर दिवांक 1 को पेश है
रीडर
डॉ. एस. डी. एम

11/8 वकुलाम 1300 अर्थात् कर्मचारी
है अर्थात् पालकी प्रकरण
10/11/25 को प्रेषित है

10/11/25 वकुलाम अर्थात् अर्थात् अब भी प्रस्तुत नहीं। लक्ष
बंद किया जाता है न्यायालय द्वारा को आदेशिका
दिनांक 16/10/23 पुरा किया जाता है पञ्जाबली दिनांक
24/11/25 को पेश है।

24/11/25 वकुलाम अर्थात् प्रकरण आदेशिका दिनांक 10/11/2025
को आदेशिका दिनांक 16/10/23 को पुरा किया जा
रुका है अतः पञ्जाबली मूल वाद तक / निधि तक
यह आदेशिका निषेधात् पुरा रहेगी अतः पञ्जाबली
फैसल शुभ्र होकर से मूल हो। दफ्तर शक्ति है

सुप्रीम